RCMS अतिक्रमण वाद सं0–03 / 22–23

11.03.2025 संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का संयुक्त स्थलीय जॉच प्रतिवेदन प्राप्त। जॉचोपरान्त उनके द्वारा संयुक्त रूप से प्रतिवेदित किया गया है कि वादगत भूमि मौजा पौडइया, थाना न0 422, खाता न0 10, प्लॉट न0 35 रकवा 44 डी0 के मधे 22 डी0, सर्वेनुसार रैयती खाते की भूमि है, जिसका सर्वे खतियान नेहाल चौधरी वगैरह के नाम पर दर्ज है। जिस पर अतिक्रमण वाद चलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन का संयुक्त स्थलीय जॉच प्रतिवेदन के आलोक में वादगत भूमि रैयती खाते की होने के कारण अभिलेख की कार्रवाई अंतिम रूप से बंद की जाती है।

11/03/2025

अंचल अधिकारी,

जमुआ।

Scanned with OKEN Scanner

सेवा में,

अंचल अधिकारी
जमुआ

विषय:- Revenue case monitoring system (RCMS) में दर्ज Case No - 03/2022-23 SRVAN KUMAR VS UMESH THAKUR (Encroachment) अभिलेख के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि भवदीय द्वारा विषयांकित वाद सं०- 03/2022-23 SRVAN KUMAR VS UMESH THAKUR (Encroachment case) का मूल अभिलेख की मांग की जा रही है, जबकि प्रभार सूची में उक्त अभिलेख पूर्ववर्ती सहायक श्री सुशील हांसदा, उच्चवर्गीय लिपिक के द्वारा मुझे नहीं सौंपा गया है। (सुलभ प्रसंग हेतु प्रभार सूची की छायाप्रति संलग्न)

मेरे द्वारा कार्यालय में भी उक्त अभिलेख की काफी खोजबीन की गयी, परन्तु अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सका।

विश्वासभाजन

देवानन्द कुमार वर्मा
उच्चवर्गीय लिपिक
अंचल कार्यालय
जमुआ

13-02-2025

Digitally signed by SANJAY PANDEY
Date: 2025.03.12 11:00:37 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:31:382a:3f57:9e76

Scanned with OKEN Scanner